न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

हाईब्रिड रियल एस्टेट प्रा० लि० बाबूलाल

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	25/2023 आज्ञा विस्तृत रूप से
	1/5/24	प्रार्थीगण की ओर से ... प्रार्थना पत्र ... [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (सांगानेर)

Reader
31/3/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जययुर

प्रार्थना पत्र सख्या 25 /2023

1 हाईब्रिड रियल एस्टेट प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर अमरनाथ तोषनीवाल पुत्र श्री बृजकिशोर तोषनीवाल पंजीकृत कार्यालय 3/108 जवाहर नगर जयपुर

2 अमरनाथ तोषनीवाल पुत्र बृजकिशोर तोषनीवाल

3 स्वेता तोषनीवाल W/O अमरनाथ तोषनीवाल

4 बृजकिशोर तोषनीवाल पुत्र द्वारकादास तोषनीवाल

5 पुष्पा देवी पत्नी बृजकिशोर तोषनीवाल

समस्त जाति माहेश्वरी निवासीयान 3/108 जवाहर नगर जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण जाति खाती

2 भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति खाती

समस्त निवासीयान ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु।</u>

मान्यवर,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :–

पुष्पा तोषनीवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 25/2023
निर्णय दिनांक : 01.05.2024

1. हाईब्रिड रियल एस्टेट प्रा० लि० जरिये डायरेक्टर अमरनाथ तोषनीवाल पुत्र श्री बृजकिशोर तोषनीवाल पंजीकृत कार्यालय 3/108 जवाहर नगर जयपुर।
2. अमरनाथ तोषनीवाल पुत्र बृजकिशोर तोषनीवाल
3. स्वेता तोषनीवाल पत्नी अमरनाथ तोषनीवाल
4. बृजकिशोर तोषनीवाल पुत्र द्वारकादास तोषनीवाल
5. पुष्पा देवी पत्नी बृजकिशोर तोषनीवाल

समस्त जाति माहेश्वरी निवासीयान 3/108 जवाहर नगर जयपुर

प्रार्थीगण

वनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण जाति खाती
2. भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण जाति खाती

समस्त निवासीयान ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नं0 4500 रकबा 2.04 है०, वाके ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि जिसका सीमाज्ञान दिनांक 13/12/17 को तहसीलदार के आदेश कमांक/भू 1/17/6919–6924 दिनांक 13/12/17 व इसके अन्य पूर्वा के आदेशो की पालना में भू–प्रवन्ध विभाग से श्री प्रेमचन्द वैरवा निरीक्षक धीरेन्द्र जी व राजबहादुर सिंह भू मापक व राजस्व श्री [illegible] निरीक्षक [illegible]री, पटवारी व पुलिस थाना सांगानेर सदर मय जाप्ता उपस्थित [illegible] ग्राम वाटिका के अराजी खसरा न० 4500 रकवा 2.04 है०, खसरा न० 4501 रकबा [illegible] है० कुल किता 2 कुल रकवा 2.14 है0 का सीमाज्ञान ईटीएस मशीन से किया गया। जो कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के मु० स० 203/2013 बाबूलाल बनाम शांति देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मे प्रदत्त निर्णय दिनांक 15/7/2016 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 की पालना में किया गया है। उक्त मशीन द्वारा सीमाज्ञान आस पास के खसरा नम्बरान जो कि 4500 व 4501 के आस पास है संलग्न नक्शे में प्रदर्शित किया गया है लाल स्याही से अंकित मौका स्थिती को दर्शाता है व काली स्याही नक्शा ट्रेस की स्थिती मो दिखाता है जो कि रिपोर्ट के साथ संलग्न रहेगा।

उक्त आदेशो की पालना मे भू–प्रवन्ध टीम व राजस्व टीम दोनो मिलकर चिन्हीकरण का कार्य संपादित किया गया रिर्पोट श्रीमान तहसीलदार सांगानेर की सेवा मे अवलोकनार्थ ईटीएस सर्वेक्षण की मूलप्रति अनुमोदित प्रस्तुत है वावूलाल भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण जांगिड ने हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी काश्तकार अप्रार्थी सख्या एक व दो जिनकी प्रार्थीगण की भूमि के सीमा से लगती हुयी है। अप्रार्थी सख्या एक व दो आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है तथा अप्रार्थी सख्या एक व दो प्रार्थीगण की भूमि पर कृषि काश्त करने मे वाधा कारित करते है। इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 4500 रकबा 2.04 है0, वाके ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पुलिस सहायता से पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी सख्या तीन को फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

पत्रावली में उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 4500 रकवा 2.04 है0, वाके ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पुलिस सहायता से पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी सख्या तीन को फरमाने की कृपा करे।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व [illegible] किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता [illegible] कि [illegible] अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न [illegible] प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 4500 रकबा 2.04 है0 [illegible] के ग्राम वाटिका, तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

सांगानेर जिला जयपुर का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:35:43 IST
Reason: SelfAttested